<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : सुरेश कुमार, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 123/2022 राजस्व अपील

1. कजोड पुत्र मूलचन्द जाति कोली निवासी कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

<u>अपीलान्ट</u>

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

<u>रेस्पोडेन्ट</u>

<u>(अपील विरूद्व निर्णय उपतहसीलदार उप तहसील बहरावण्डा निर्णय दिनांक 29.08.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम कजोड प्रकरण संख्या 105/2018)</u>

उपस्थिति : श्री निर्मल कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

<u>:– निर्णय :–</u> दिनांकः 09.06.2023

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि भूमि खसरा नम्बर 289 रकबा 0.10 है. किस्म सिवायचक वाके रामा कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा जिला दौसा में स्थित है। उप तहसीलदार बहरावण्डा ने अपीलान्ट के विरूद्व भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये अपीलान्ट को कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करने एवं पेनल्टी कायम करने के साथ ही अपीलान्ट को 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित करने के आदेश दिनांक 29.08.2018 को पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 29.08.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि विरूद्व तथा तथ्यों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा काश्त नहीं हैं। इसके बावजूद भी पटवारी हल्का द्वारा झूंठी मौका रिपोर्ट पेश की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके की वास्तविक स्थिति एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात(शपथ पत्र कब्जा काश्त नही होने का) का अवलोकन नहीं करते हुये यह निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट मजदूरी पेशा व्यक्ति है जो कमाने खाने के लिये बाहर चले जाने के कारण उसे उप तहसीलदार बहरावण्डा के निर्णय का मालूम नहीं चल पाया। पटवारी हल्का द्वारा बताये जाने पर अपीलान्ट को इस निर्णय की जानकारी हुई। अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा अपील स्वीकार की जाकर प्रश्नगत निर्णय दिनांक 29.08.2018 खारिज फरमाया जाने का निवेदन किया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा ग्राम कोरडा खुर्द तहसील बहरावण्डा में स्थित गैर मुमकिन नदी की सिवायचक भूमि खसरा नंबर 289 रकबा 0.10 है. भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया है। उक्त भूमि राजकीय सिवायचक गैर मुमकिन नदी की भूमि है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सिवायचक भूमि पर काश्त कर अतिक्रमण किये जाने के कारण अपीलान्ट अतिक्रमी के विरूद्ध भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर अपीलान्ट अतिकमी को अतिकमित आराजी से दिनांक 29.08.2018 को बेदखल कर पेनल्टी कायम कर 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न की हुई है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलांट उक्त भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में प्राप्त अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही कर उक्त प्रश्नगत निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि खसरा नंबर 289 रकबा 0.10 है. भूमि पर बाजरे की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बेदखली एवं फसल नीलामी की रिपोर्ट संलग्न है। अपीलान्ट द्वारा भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलान्ट खारिज किया जाना उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा

निर्णय आज दिनांक 09.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुरेश कुमार)
अति. जिला कलक्टर ,दौसा